

आपदाग्रस्त पत्रकार के लिए उत्तराखण्ड पत्रकार कल्याण कोष से वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु
आवेदन-पत्र

सेवा में,

महानिदेशक,
सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग
उत्तराखण्ड, देहरादून ।

1. आवेदक का पूरा नाम.....
2. जन्मतिथि(जन्मतिथि प्रमाण पत्र भी संलग्न करें).....
3. पूरा पता.....
4. दूरभाष/मोबाइल नं.....

आपदाग्रस्त पत्रकार के संबंध में घोषणा एवं प्रमाण-पत्र

(अ) मैं.....घोषणा करता/करती हूँ कि मैं विगत
.....वर्षों से श्रमजीवी पत्रकार/मान्यता प्राप्त पत्रकार के रूप में समाचार
पत्र/पत्रिका/इलेक्ट्रॉनिक चैनल/न्यूज एजेंसी/स्वतंत्र पत्रकार (नाम अंकित करें
तथा प्रमाण-पत्र भी संलग्न करें) में कार्यरत रहा हूँ। साक्ष्य
के रूप में संबंधित संस्था का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ तथा वर्तमान में
अस्वस्थता (अस्वस्थता का कारण अंकन करें तथा अस्वस्थता का प्रमाण पत्र भी
राजकीय चिकित्सालय के चिकित्सक का संलग्न करें) के कारण बेरोजगार हूँ। मेरा
तथा मेरे परिवार के आश्रित सदस्य का आय का कोई अन्य साधन न होने के कारण
मुझे पत्रकार कल्याण कोष से आर्थिक सहायता की आवश्यकता है।

(ब) मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त सूचना तथा प्रमाण पत्र मेरी
जानकारी में सत्य है। यदि उरोक्त सूचना एवं प्रमाण-पत्र असत्य पाये जाते हैं तो
प्राप्त की गई आर्थिक सहायता ब्याज सहित सूचना विभाग को वापस कर
दूंगा/दूंगी।

दिनांक.....

संलग्नकों का विवरण-

(आवेदक के हस्ताक्षर)

नोट-प्रार्थना-पत्र के साथ निम्न प्रमाण-पत्र संलग्न करने अनिवार्य है:-

1. जन्मतिथि का प्रमाण-पत्र सक्षम स्तर से
2. मान्यता प्राप्त पत्रकार का प्रमाण पत्र अथवा श्रमजीवी पत्रकार के रूप में 5 वर्ष से कार्यरत रहने का प्रमाण-पत्र ।
3. अस्वस्थता का प्रमाण-पत्र सक्षम स्तर से ।
4. बेरोजगार होने का प्रमाण-पत्र सक्षम स्तर से ।

“मृत पत्रकार के आश्रितों के लिए उत्तराखण्ड पत्रकार कल्याण कोष से वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु आवेदन-पत्र

सेवा में,

महानिदेशक,
सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग
उत्तराखण्ड, देहरादून ।

1. आवेदक का पूरा नाम.....
2. जन्मतिथि(जन्मतिथि प्रमाण पत्र भी संलग्न करें).....
3. पूरा पता.....
4. दूरभाष/मोबाइल नं.....

मृत पत्रकार के आश्रितों के संबंध में घोषणा एवं प्रमाण-पत्र

(अ) मैं.....घोषणा करता/करती हूँ कि मैं स्व0जो.....वर्षों से श्रमजीवी पत्रकार/मान्यता प्राप्त पत्रकार के रूप में समाचार पत्र/पत्रिका/ इलेक्ट्रॉनिक चैनल/न्यूज एजेन्सी/स्वतंत्र पत्रकार (नाम अंकित करें तथा प्रमाण-पत्र भी संलग्न करें)में कार्यरत रहे/रही का आकरिमक निधन दिनांक.....को हुआ है। (मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें) मैं.....स्व0.....का/की (पति/पत्नी/माता/पिता/पुत्र/पुत्री जो भी हो अंकन करें).....हूँ । मैं तथा मेरा परिवार वर्तमान में पूर्ण रूप से बेरोजगार हूँ तथा आय का कोई अन्य साधन नहीं है। मुझे पत्रकार कल्याण कोष से आर्थिक सहायता की आवश्यकता है ।

(ब) मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त सूचना तथा प्रमाण पत्र मेरी जानकारी में सत्य है। यदि उरोक्त सूचना एवं प्रमाण-पत्र असत्य पाये जाते हैं तो प्राप्त की गई आर्थिक सहायता ब्याज सहित सूचना विभाग को वापस कर दूंगा/दूंगी।

दिनांक.....

संलग्नों का विवरण-

(आवेदक के हस्ताक्षर)

नोट-प्रार्थना-पत्र के साथ निम्न प्रमाण-पत्र संलग्न करने अनिवार्य है-

1. जन्मतिथि का प्रमाण-पत्र सशाम स्तर का
2. मृत पत्रकार के मान्यता प्राप्त पत्रकार होने का प्रमाण पत्र अथवा श्रमजीवी पत्रकार के रूप में 5 वर्ष से कार्यरत रहने का प्रमाण-पत्र ।
3. परिवार के आश्रित होने का प्रमाण-पत्र सशाम स्तर से
4. आश्रित परिवार के सदस्यों के आय के कोई अन्य स्रोत न होने का प्रमाण-पत्र सशाम स्तर से